

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-प्रथम)
ऑडिट भवन, झाँसी रोड, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

संशोधित कार्यालय आदेश: 142

दिनांक : 03.03.2025

विषय: Mandatory training to AAOs to be empaneled for promotion as SAOs

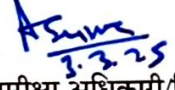
पूर्व में जारी कार्यालय आदेश 131 दिनांक 13.02.2025 के निरंतरता में इस कार्यालय द्वारा वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी के पद पर पदोन्नति हेतु आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में अपरिहार्य कारण से प्रशिक्षण दिनांक में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है:-

1. समय सारणी में संशोधन

स. क्र.	पूर्व में निर्धारित दिनांक	संशोधित दिनांक
1	22.02.2025 (2 nd & 3 rd Session)	04.03.2025 (1 st & 2 nd Session)
2	27.02.2025 (5 th Session) & 28.02.2025 (1 st Session)	03.03.2025 (4 th & 5 th Session)
2	01.03.2025 (1 st & 2 nd Session)	04.03.2025 (3 rd & 4 th Session)

शेष प्रशिक्षण कार्यक्रम यथावत रहेगा।

(प्राधिकार: उप महालेखाकार/प्रशासन के आदेशानुसार)


वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/विधि कक्ष

प्रतिलिपि- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित-

1. सचिव, प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, म.प्र., ग्वालियर
2. सचिव, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-प्रथम), म.प्र., ऑडिट भवन, ग्वालियर
3. सचिव, महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-II, म.प्र., ग्वालियर
4. सचिव, महालेखाकार (लेखापरीक्षा-द्वितीय), 53, अरेरा हिल्स, होशंगाबाद रोड, म.प्र., भोपाल- 462011
5. वरिष्ठ उप महालेखाकार/प्रशासन, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-प्रथम), म.प्र., ऑडिट भवन, ग्वालियर
6. वरिष्ठ उप महालेखाकार/प्रशासन, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा-द्वितीय), 53, अरेरा हिल्स, होशंगाबाद रोड, म.प्र., भोपाल- 462011, कृपया Annexure 'A' में सरल क्रमांक 28-41 में अधिकारियों को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु एवं व्याख्याताओं को प्रशिक्षण प्रदाय किये जाने हेतु निर्देशित करे एवं सरल क्रमांक 43-50 वाणिज्यिक लेखापरीक्षा शाखा के अधिकारियों के लिए शेष दिनों के प्रशिक्षण का आयोजन करने का कष्ट करे।
7. उप महालेखाकार/प्रशासन, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, म.प्र., ग्वालियर को आपदा प्रबंधन के अंतर्गत अभिरक्षा में रखने हेतु।
8. उप महालेखाकार/AMG-I, AMG-II, AMG-III, AMG-IV, AMG-V, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-प्रथम), म.प्र., ऑडिट भवन, ग्वालियर
9. उप निदेशक (केंद्रीय), उप निदेशक (केंद्रीय प्राप्ति), कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (केंद्रीय प्राप्ति), नई दिल्ली, शाखा ग्वालियर। कृपया Annexure 'A' में सरल क्रमांक 21-27 में वर्णित अधिकारियों को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु निर्देशित करे।
10. उप निदेशक, कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (पश्चिम मध्य रेलवे), जबलपुर। कृपया Annexure 'B' में सरल क्रमांक 51-61 में वर्णित अधिकारियों को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु निर्देशित करे।

11. उप निदेशक, नमामि गंगे, ग्रामीण जल आपूर्ति, निदेशालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। कृपया Annexure 'A' में सरल क्रमांक 42 में वर्णित अधिकारियों को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु निर्देशित करें।
12. उप महालेखाकार/प्रशासन, कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-I&II, म.प्र., ग्वालियर। कृपया Annexure 'B' में सरल क्रमांक 62-73 में वर्णित अधिकारियों को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु निर्देशित करें।
13. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/ प्रशासन-11, 12, 13, 14, ITA, Report-I, Report-II, Report (PAC), Hindi Cell, CC, FAAS-M, FAAP, सामान्य अनुभाग, कार्यपालन शाखा, AMG-I (मुख्यालय), AMG-II (मुख्यालय), AMG-III (मुख्यालय), AMG-IV (मुख्यालय), AMG-V (मुख्यालय)। कृपया अपने समूह/अनुभाग में कार्यरत संबंधित अधिकारियों को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु एवं व्याख्याताओं को प्रशिक्षण प्रदाय किये जाने हेतु निर्देशित करें।
14. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/फास (विविध), कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा-द्वितीय), म.प्र., भोपाल, शाखा ग्वालियर। कृपया अपने समूह/अनुभाग में कार्यरत संबंधित अधिकारियों को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु एवं व्याख्याताओं को प्रशिक्षण प्रदाय किये जाने हेतु निर्देशित करें।
15. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/GE, CRA-I, CRA-II, कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (केंद्रीय प्राप्ति), नई दिल्ली, शाखा ग्वालियर। कृपया अपने समूह/अनुभाग में कार्यरत संबंधित अधिकारियों को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु एवं व्याख्याताओं को प्रशिक्षण प्रदाय किये जाने हेतु निर्देशित करें।
16. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/IS-Wing को इंटरनेट एवं इंटरनेट पर अपलोड करने हेतु।
17. श्री नरेश आहूजा, स.ले.प.अ. को इंटरनेट एवं इंटरनेट पर अपलोड करना सुनिश्चित करने बावत।
18. सभी व्याख्याता एवं सभी प्रशिक्षणार्थी
19. सूचना पटल।


वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/विधि कक्ष